

12.07.2023 वाद पुकारा गया। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पवन बंसल उपस्थित आये। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री वी.एस.चौहान (सिविल) राज्य की ओर से उपस्थित आये। 21ग प्रार्थना पत्र के द्वारा अपीलार्थी की ओर से यथास्थिति आदेश को अग्रिम तिथि तक बढ़ाये जाने की प्रार्थना की गयी। सुना। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। 22घ प्रार्थना पत्र के द्वारा अपीलार्थी की ओर से बहस हेतु समय की मांग की गयी। अनापत्ति दर्ज की गयी। प्रार्थना पत्र एक अवसर के साथ स्वीकार किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.08.2023 को पेश हो। न्यायालय का आदेश दिनांकित 20.09.2022 अग्रिम नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

रीना नेगी
अपर जिला जज,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल